bajajallianzlife.com

LIFE GOALS. DONE.

BAJAJ | Allianz

चाइल्ड एज्युकेशन कवर अब आपके टर्म इन्शोरेंस में

बजाज आलियांज़ लाइफ
स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल

एक गैर लिंक्ड, गैर भागीदार, प्योर लाइफ टर्म इन्श्योरेंस प्लान

COVID-19 क्लेम्स^ कवर करता है

प्रमुख लाभ-

बजाज आलियांज़ लाइफ़ स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल (वेरिएंट - चाइल्ड एजुकेशन एक्स्ट्रा कवर वेरिएंट के साथ लाइफ कवर)

- ढेर सारी सुविधाओं के साथ एक व्यापक कवरेज
- चाइल्ड एजुकेशन एक्स्ट्रा कवर (CEEC) - के साथ लाइफ कवर अतिरिक्त कवर सम्मिलित
- एकल, सीमित या नियमित प्रीमियम भुगतान अवधि के चयन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी

ऐड-ऑन कवर्स, निम्न में से चुनने के लिए

- एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट (ADB)
- एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट (ATPDB)
- क्रिटिकल इलनेस लाभ (CIB)
- प्रीमियम[2] बेनिफिट की छूट (WOPB)

ध्यान दें -

[2]प्रीमियम की छूट (WOPB) CI (ATPD सहित) पर लागू

ऐड-ऑन कवर केवल शुरुआत में ही चुना / लिया जा सकता है और बाद में इसे बदला नहीं जा सकता

1 दिन में दावा मंज़ूरी%

केयर **AAA(in)** रेटिंग$

सॉल्वेंसी **745%**** रेशो

98.02% क्लेम सेटलमेंट रेशो~

✔ शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रैंड्स 2019*

✔ सबसे विश्वसनीय ब्रैंड्स में से एक@

वेरिएंट वर्णन - चाइल्ड एजुकेशन एक्स्ट्रा कवर के साथ लाइफ कवर (CEEC)

- लाइफ कवर[3] राशि बीमित व्यक्ति (लाइफ एश्योर्ड) की मृत्यु पर देय है
- CEEC राशि के बराबर, आपके बच्चे/बच्चों के शैक्षिक ख़र्च वहन करने के लिए अतिरिक्त कवर जो, CEEC अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय है
- चाइल्ड एजुकेशन एक्स्ट्रा कवर (CEEC) केवल शुरुआत में ही चुना जा सकता है, आपके हर एक बच्चे के लिए बशर्ते शुरुआत पर बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो.
- चूंकि CEEC(s) प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से चुना जा सकता है, प्रत्येक CEEC अवधि(याँ) क्रमशः बच्चे/बच्चों (नामांकित) की 25 वर्ष की आयु प्राप्ति पर बंद हो जाएगी.
- वेरिएंट के तहत बीमित राशि का 10% और 100% (10% के गुणकों में) के बीच किसी भी प्रतिशत के रूप में CEEC(s) राशि को चुना जा सकता है

आप निम्नलिखित किसी / सभी ऐड-ऑन कवर्स का विकल्प चुन सकते हैं

- **एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट** (ADB) - दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में, ADB के रूप में चुना गया सम एश्योर्ड (बीमित राशि) देय है
- **एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट** (ATPDB) - दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की कुल स्थायी विकलांगता की घटना के मामले में, ATPDB के रूप में चुना गया सम एश्योर्ड (बीमित राशि) देय है
- **क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट** (CIB)-
- किसी सूचीबद्ध क्रिटिकल इलनेस के डायग्नोसिस के मामले में, क्रिटिकल इलनेस लाभ के लिए चुना गया सम एश्योर्ड (बीमित राशि) देय है
- एन्जियोप्लास्टी के अलावा माइनर CI के मामले में, CIB का 25% देय होगा
- एन्जियोप्लास्टी होने पर CIB का 25% या 5 लाख दोनों में से जो राशि कम होगा वो देय होगा
- CIB कवर अवधि के दौरान एन्जियोप्लास्टी के दावों सहित अधिकतम चार (4) माइनर उख देय होंगे
- मेजर CI के लिए, CIB का 100% देय होगा
  माइनर और मेजर CI के तहत भुगतान किए गए कुल दावे CIB के 100% से अधिक नहीं होंगे. यदि कवर अवधि के दौरान एंजियोप्लास्टी सहित CIB के लिए चार (4) माइनर CIs भुगतान किया गया है, तो भविष्य में किसी माइनर CI के लिए कोई भी CIB देय नहीं होगी. कोई बक़ाया CI सम एश्योर्ड, किसी मेजर (बड़ी) CI के घटित होने पर देय होगा. माइनर CI (एन्जियोप्लास्टी सहित) के लिए एक बार दावे के भुगतान के बाद, भविष्य में उसी माइनर CI के लिए किसी भी दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा. शेष CIB सभी सूचीबद्ध CI के लिए जारी रहेगी, उस माइनर CI को छोड़कर, जिसके दावे का भुगतान पहले ही किया जा चुका है.
- **CI पर प्रीमियम छूट का लाभ (वेवर ऑफ़ प्रीमियम बेनिफिट) (ATPD सहित) (WOPB -I) लाभ -**
  - चौथी (4th) माइनर CI या पहली (1st) मेजर CI (ATPD सहित) घटित होने की तारीख पर या डेथ ऑफ द फर्स्ट लाइफ़ एश्योर्ड पर, जो भी पहले हो, पॉलिसी के तहत भविष्य के सभी प्रीमियमों को माफ कर दिया जाएगा और WOPB-I कवर भी तुरंत और स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे

ध्यान दें-

- *वैरिएंट / ऐड-ऑन कवर, केवल पॉलिसी के शुरुआत में चुने जा सकते हैं और पॉलिसी की अवधि के दौरान परिवर्तित नहीं किए जा सकते*
- *[3]लाइफ कवर मृत्यु पर बीमित राशि होता है, जो इस प्रकार है -*
  - *RP / LP के लिए - मृत्यु पर बीमित राशि यानी, निम्न तीन विकल्पों में जो अधिक हो (a) 10 गुना वार्षिकीकृत प्रीमियम[4], (b) मृत्यु की तारीख तक, भुगतान किये गए कुल प्रीमियम का 105%* (c) बीमित राशि (सम अश्योर्ड)*
  - *SP के लिए - मृत्यु पर बीमित राशि (सम अश्योर्ड) यानी निम्न दोनों विकल्पों में जो अधिक हो (a) 1.25 गुना वार्षिकीकृत प्रीमियम[4], (b) बीमित राशि (सम अश्योर्ड)*
- *[4]सीमित प्रीमियम (LP) और नियमित प्रीमियम (RP) के लिए वार्षिकीकृत प्रीमियम एक पॉलिसी वर्ष में देय कुल प्रीमियम और एसपी (SP) के लिए एकल प्रीमियम है. वार्षिक प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम, ऐड-ऑन कवर और मोडल प्रीमियम के लिए लोडिंग अतिरिक्त है, यदि कोई हो, और भुगतान किया गया कुल प्रीमियम (वार्षिकीकृत प्रीमियम* वर्षों की संख्या जिनके लिए प्रीमियमों का भुगतान किया गया) के बराबर होगा. कृपया ध्यान दें कि GST/ कोई भी अन्य लागू कर, कर कानूनों में बदलाव के अधीन होगा, पॉलिसी के तहत प्रीमियम के अलावा और अलग से लिया जाएगा.*
- *ऐड-ऑन कवर केवल लागू शर्तों, अपवादों, प्रतीक्षा अवधि, कूलिंग अवधि और सर्वाइवल अवधि के अधीन तदनुसार लागू होगा*
- *इस वैरिएंट के और ऐड ऑन कवर्स के लिए, CIB और WOPB-I के अलावा प्रीमियम पूरे पॉलिसी अवधि के लिए गारंटेड है. CIB और WOPB-I के लिए प्रीमियम की गारंटी 5 साल की अवधि के लिए है और बाद की कवर अवधि के लिए समीक्षा योग्य है*
- *ऐसी पॉलिसी के मामले में जहां पहले ही WOPB चालू हो चुका हो और बाद में यदि कोई ऐड-ऑन कवर्स देय हो जाता है या मृत्यु के मामले में, सभी भविष्य के प्रीमियम का वर्तमान मूल्य, सम्बंधित वेरिएंट के सम्बन्ध में और/ या ऐड ऑन कवर्स के लिए, देय मृत्यु लाभ में या देय ऐड -ऑन कवर लाभ में जोड़ दिया जाएगा. वर्तमान मूल्य की गणना 6% प्रति वर्ष की दर से की जाएगी.*

नमूना प्रीमियम टेबल (तालिका)

25 वर्षों के PT/PPT के लिए वार्षिकीकृत प्रीमियम और बच्चे की आयु 0 वर्ष					
आयु	₹1 Cr का लाइफ कवर	25 लाख का CEEC (₹ में)	ऐड - ऑन कवर्स		
			₹1 Cr का ADB (₹ में)	₹1 Cr का ATPD (₹ में)	₹ 10 लाख का CIB (₹ में)
30 साल/पुरुष	₹7,813	₹2,218	₹6,750	₹4,459	₹2,356
40 साल/पुरुष	₹10,543	₹3,002	₹6,750	₹4,459	₹3,862
50 साल/पुरुष	₹15,195	₹4,352	₹6,750	₹4,459	₹6,233

- *PPT - प्रीमियम पेमेंट टर्म, PT - पॉलिसी टर्म*
- *यदि CIB का विकल्प चुना जाता है, तो ATPDB उपलब्ध नहीं है और इसका उलटा भी*
- *उपरोक्त प्रीमियम नॉन-स्मोकर के लिए हैं*
- *ऊपर दिखाया गये प्रीमियम में गुड्स एंड सर्विस टैक्स / कोई अन्य लागू कर शामिल नहीं, जो कि कर नियमों परिवर्तन और किसी तरह के अतिरिक्त प्रीमियम के अधीन है*
- *प्लान लागू प्रीमियम दरों पर, सीधे कम्पनी की वेबसाइट से भी ख़रीदा जा सकता है.*
- *किसी ऐड-ऑन कवर (यदि चुना हो) के लिये प्रीमियम, जीवन बीमा कवर (लाइफ़ कवर) के लिए देय प्रीमियम के ऊपर और ज़्यादा होगा.*

पात्रता शर्तें

इस वेरिएंट के लिए पात्रता:

प्रवेश पर आयु	न्यूनतम 18 वर्ष - अधिकतम 65 वर्ष			
CEEC के लिए नामांकित व्यक्ति	न्यूनतम 0 वर्ष - अधिकतम 18 वर्ष			
परिपक्वता पर अधिकतम आयु	85 वर्ष			
सम एश्योर्ड (बीमित राशि)	न्यूनतम - 50 लाख		अधिकतम - बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग के अनुसार दिशा-निर्देशों के अनुसार	
पॉलिसी अवधि (पॉलिसी टर्म, PT)/प्रीमियम पेमेंट टर्म (PPT)				
वेरिएंट का प्रीमियम टाइप	न्यूनतम		अधिकतम	
	(PT वर्ष)	(PPT वर्ष)	(PT वर्ष)	(PPT वर्ष)
RP	5	5	85 माइनस प्रवेश आयु	67
LP[7]	6	5	85 माइनस प्रवेश आयु	30
SP	5	1	40	1
CEEC के लिए प्रीमियम टाइप	न्यूनतम		अधिकतम	
	(PT वर्ष)	(PPT वर्ष)	(PT वर्ष)	(PPT वर्ष)
RP	प्रवेश के वक्त 25 माइनस आयु (नॉमिनी अगर बच्चा हो तो)[8]	5	प्रवेश के वक्त 25 माइनस आयु (नॉमिनी अगर बच्चा हो तो)[8]	25
LP[7]		5		20
SP		1		1

[8]CEEC पॉलिसी की अवधि प्रवेश के वक्त बच्चे {नॉमिनी) की आयु, 25 - आयु} जो कि इस तरह की पॉलिसी अवधि के अधीन है, कि वेरिएंट के पॉलिसी अवधि से अधिक न हो.

इस वेरिएंट के साथ ऐड - ऑन कवर्स (यदि चुना हो) की पात्रता

प्रवेश पर आयु		न्यूनतम 18 वर्ष - अधिकतम 65 वर्ष			
परिपक्वता पर अधिकतम आयु		80 वर्ष			
ADB / ATPDB के लिए सम एश्योर्ड		न्यूनतम 5 लाख - अधिकतम 2 करोड़			
CIB के लिए सम एश्योर्ड		न्यूनतम 5 लाख - अधिकतम 1 करोड़			
ऐड - ऑन कवर	वेरिएंट का प्रीमियम टाइप	न्यूनतम		अधिकतम	
		(PT वर्ष)	(PPT वर्ष)	(PT वर्ष)	(PPT वर्ष)
ADB/ATPDB	RP	5	5	80 माइनस प्रवेश आयु	62
	LP[7]	6	5	80 माइनस प्रवेश आयु	30
	SP	5	1	40	1
CIB & WOPB	RP	5	5	80 माइनस प्रवेश आयु	62
	LP[7]	5	5	30	30
	SP	उपलब्ध नहीं			

[7]लिमिटेड प्रीमियम के लिए और ऐड-ऑन कवर्स के लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 वर्षों के PPT उपलब्ध हैं; जो कि 75 वर्ष की अधिकतम पीपीटी समाप्ति की आयु के अधीन है.

ध्यान दें:

- *CIB / WOPB के लिए कवर अवधि हमेशा CIB / WOPB प्रीमियम भुगतान शर्तों के बराबर होगी*
- *हालांकि, CIB के लिए कवर की अवधि और प्रीमियम भुगतान अवधि, वैरिएंट प्रीमियम भुगतान अवधि से कम या बराबर हो सकती है*
- *CIB उपलब्ध नहीं है यदि वैरिएंट में सिंगल प्रीमियम भुगतान का विकल्प चुना गया है*

कर लाभ

प्रीमियम का भुगतान आयकर अधिनियम की धारा 80 (C) के तहत कर लाभ के लिए योग्य हो सकता है. प्रीमियम, मृत्यु, दुर्घटना से मृत्यु, एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस आयकर अधिनियम की धारा 10 (10D) के तहत कर लाभ के लिए पात्र हो सकते हैं, जो कि वहां दिए गए प्रावधान के अधीन है. आपसे अनुरोध है कि पात्रता और पॉलिसी के तहत किसी भी लाभ का दावा करने से पहले आप अपने कर सलाहकार से परामर्श लें और स्वतंत्र सलाह प्राप्त करें.

छूट का निषेध (प्रोहिबशन ऑफ़ रिबेट): बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41:

रिबेट का निषेध बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए, जो कि समय-समय पर संशोधित की जाती है.

(1) कोई भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा नवीनीकृत करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी रियायत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति या प्रलोभन नहीं देना चाहिए, और न ही कोई पॉलिसी लेने या नवीनीकृत करवाने वाले किसी व्यक्ति को कोई रियायत स्वीकार करनी चाहिए जिसमें वह रियायत अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित प्रॉस्पेक्ट्स या तालिकाओं के अनुसार अनुमत हा सकती है.

(2) इस धारा के प्रावधानों का पालन न करने पर, हर व्यक्ति दंड का पात्र होगा, जिसके लिए उन्हें फाइन भरना होगा, जो 10 लाख रुपये तक बढाया जा सकता है.

धोखाधड़ी, ग़लती प्रतिनिधित्व और ज़ब्ती - बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

धोखाधडी, गलतबयानी और जब्तीकरण का निपटारा समय-समय पर संशोधन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार होगा.

ध्यान दें:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

1800 209 4040 | bajajallianzlife.com

LIFE GOALS. **DONE.**

BAJAJ | Allianz

बजाज आलियान्ज़ लाइफ़ इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

जोख़िम के घटक और चेतावनी संबंधित कथन: बजाज आलियान्ज़ लाइफ़ इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड और बजाज आलियान्ज़ स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल क्रमशः कंपनी और प्रॉडक्ट के नाम हैं ये किसी भी तरह से, पॉलिसी की गुणवत्ता, उसकी भावी संभावनाओं या रिटर्न्स को नहीं दर्शाते हैं. इस पॉलिसी में, निवेश पोर्टफोलियो में निवेश के जोख़िम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किए जाते हैं. पारम्परिक प्रॉडक्ट्स के विपरीत, जोख़िम घटकों, नियमों और शर्तों के विवरण जानने के लिए, कृपया बिक्री का फैसला लेने से पहले सेल्स ब्रोशर और (www.bajajallianzlife.com पर उपलब्ध) पॉलिसी दस्तावेज सावधानीपूर्वक पढ़ें. बजाज आलियांज़ लाइफ स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल - एक गैर लिंक्ड, गैर भागीदार, प्योर लाइफ़ टर्म इन्श्योरेंस प्लान कार्यालय पता: बजाज आलियान्ज़ हाउस, एयरपोर्ट रोड, येरवडा, पुणे- 411006 | पंजी. सं.:116. | BALIC CIN : U66010PN2001PLC015959 | हमें मेल करें: customercare@bajajallianz.co.in | फैक्स: (020) 6602 6789 | कॉल करें टोल फ्री नं: 1800 209 7272 | बजाज आलियांज़ लाइफ स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल (UIN: 116N163V01), बजाज आलियान्ज़ लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड का उपरोक्त लोगो बजाज फिनसर्व लिमिटेड द्वारा उसका ''बजाज'' लोगो और आलियान्ज़ SE को उसका ''आलियान्ज़'' लोगो इस्तेमाल करने के लिए दिए गए लायसेन्स के आधार पर प्रदान किया गया है. लागू होने वाले सभी शुल्क/कर, पॉलिसीधारक द्वारा वहन किए जाएंगे.

^सभी मृत्यु दावों के लिए, पॉलिसी नियमों और शर्तें पूरी करने के अधीन. | ~वित्त वर्ष 2019-20 व्यक्तिगत क्लेम सेटलमेंट रेशो

$ज़्यादा जानकारी के लिए CARE द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति देखें (http://www.careratings.com/upload/CompanyFiles/PR/Bajaj%20Allianz%20Life%20Insurance%20Campany%20Ltd.-04-05-2019.pdf)

**वित्त वर्ष 20 के लिए सॉल्वेंसी रेशो (करदान क्षमता अनुपात) 745%, IRDAI द्वारा अनिवार्य 150% के मद्देनज़र. | *स्रोत-कंतार मिलवर्ड ब्राउन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट | @स्रोत-मार्च 2020 में ब्रैंड इक्विटी-नीलसन द्वारा किया गया सर्वेक्षण

%वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एक कार्य दिवस में स्वीकृत 87% नॉन-इन्वेस्टिगेटिव व्यक्तिगत दावे. बजाज आलियांज़ लाइफ कार्यालयों में, 1 (पहला) दिन, एक कार्य दिवस (ULIP के लिए गैर-एनएवी दिनों को छोड़कर) पर 3 बजे से पहले दी गयी दावे की सूचना की तारीख से गिना जाता है.

जाली फोन कॉल्स और झूठे /धोखेबाज़ ऑफर्स से सावधान रहें - IRDAI बीमा पॉलिसी बेचने, बोनस की घोषणा करने या प्रीमियम के निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता है. सार्वजनिक रूप से ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने पर पुलिस शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है.